

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री श्रीदत्त शर्मा

दिनांक : 23.08.2019

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 36

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि यमुना खादर, (बाढ़ प्रभावित क्षेत्र) में अनधिकृत पार्किंग चलाई जा रही है;	पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा बताया गया कि यमुना खादर में अनाधिकृत पार्किंग चलाए जाने की शिकायत मिलती रही है। यह क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण/ संचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संज्ञान में आने से कार्यवाही की जाती है।
ख	यदि हाँ, तो इसकी अनुमति किस एजेंसी ने दी है;	उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं है।
ग	क्या इसको दी गई अनुमति में एमसीडी अथवा दिल्ली सरकार की कोई भूमिका है; और	
घ	क्या पार्किंग को किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर बिना संबंधित सरकारी विभाग की अनुमति के चलाया जा सकता है?	



शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

F-33/AO/C&C/1351/C6e 20/8/19

पूरक सामग्री

विषय :- विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 36 माननीय विधायक श्री दत्त शर्मा, दिनांक 23.08.19 के सम्बन्ध में।

यमुना खादर (बाढ़ प्रभावित क्षेत्र) में अधिकृत एवं अनधिकृत पार्किंग का सूची

अधिकृत पार्किंग साईट		
क्रम संख्या	अधिकृत पार्किंग साईट	पार्किंग साईट
1.	प्रथम पुस्ता उस्मानपुर	1
2.	तीसरा पुस्ता उस्मानपुर	1
अनधिकृत पार्किंग साईट		
1.	2.5 पुस्ता सोनिया विहार, नियर यमुना खादर	2
2	टोल टैक्स सोनिया विहार, नियर पुलिस पोस्ट	1

अनधिकृत पार्किंग को हटाने के लिए सहायक आयुक्त दक्षिणी एवं उत्तरी को पत्र भेजा गया है एवं प्रतिलिपि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी ट्रैफिक एवं सम्बंधित एस. एच. ओ. को भेजा गया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संज्ञान में आने से कार्यवाही की जाती है।

20/08/19
कार्य सहायक

अनुभाग अधिकारी / लाभकारी परियोजना कक्ष

प्रशासनिक अधिकारी / लाभकारी परियोजना कक्ष

साईट नं

AO(C&C)